

gfj; k lk ou fodkl fuxe fyfeVM

(हरियाणा सरकार का उपक्रम)



fufonk nLrkot

b&fufonk l d; k 05@2017&18

dk; Zdk ule% ydMh ds dWl @Qulbj dk ifjogu xMh eap<kuk , oamrkjuk b& kfn A

gfj; k lk ou fodkl fuxe fyfeVM

कार्यालय: महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम कुरुक्षेत्र

दूरभाष: 01744-259364 फ़ैक्स 01744-259364

ई.मेल: gm.kurukshetra@hfdc.gov.in वेबसाईट: www.hfdc.gov.in

fufonk d&k dk ule%

fo"k l ph

	dæ l ɖ; k fooj.k	i"b l ɖ; k
1	fufonk vɬæ.k l pʊk	03
2	fufonk QɬɛZ	04&05
3	foRɬɪ oɬɪh	06
4	gYQɬɛk	07
5	opui =	08
6	vuɬʊk i =	09
7	fufonk l ɛɬʊh l kɛɬɪ fu; e , oa'krɛZ	10&12
8	vuɬʊk l ɛɬʊh fo'kɬk fu; e , oa'krɛZ	13

प्रेस विज्ञापित
हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड
 (हरियाणा सरकार का उपकम)
 कार्यालय: महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम कुरुक्षेत्र
 दूरभाष /फैक्स न० 01744-259364 ई.मेल: gm.kurukshetra@hfdc.gov.in
 वेबसाईट www.hfdc.gov.in

निविदा संख्या 05/2017-18

बिडिंग प्रक्रिया

महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, कुरुक्षेत्र द्वारा ymd@hfdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यह कार्य दिनांक 31.03.2018 तक के लिए है। यह निविदा दिनांक 07.07.2017 से दिनांक 24.07.2017 बाद दोपहर 2.30 बजे तक ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है। तकनीकी व वित्तीय बोली दिनांक 25.07.2017 को बाद दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। इस कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज/ जानकारी इस निगम की वेबसाईट: www.hfdc.gov.in & <https://haryanaeprocurement.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं। इस कार्य की निविदा के लिए फार्म फीस ₹500/- (पांच सौ रुपये) व ई-टैप्डिंग की फीस ₹1000/- (एक हजार रुपये) तथा ₹50,000/- (पच्चास हजार केवल) बतौर ब्याना राशि अलग से e-procurement portal <https://haryanaeprocurement.gov.in> पर जमा करवानी होगी।

महाप्रबन्धक
 हरियाणा वन विकास निगम
 कुरुक्षेत्र।

HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (Haryana Govt. Undertaking) Office of : GENERAL MANAGER, HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LTD. KURUKSHETRA.	
NATURE OF WORK: TRANSPORTATION OF WOODEN CRATES/WOODEN FURNITURE INCLUDING LOADING AND UNLOADING ETC.	
TECHNICAL BID	
1. NAME AND FULL ADDRESS OF THE TRANSPORTER/AGENCY/FIRM WITH MOBILE NO. AND E-MAIL ADDRESS	
2. NAME OF THE PROPRIETOR/PARTNERS OF THE TRANSPORTER/AGENCY/FIRM.	
3. LEGAL STATUS OF TRANSPORTER/ AGENCY/ FIRM. A) PAN NUMBER B) GST NUMBER. C) EPF NO. D) ESI NO.	
4. HAVE YOU DEPOSITED EMD, FORM FEE, E-TENDER SERVICE FEES ETC? IF YES, GIVE FULL DETAIL OF DEPOSITED AMOUNT.	
5. HAVE YOU ATTACHED ALL RELEVANT DOCUMENTS RELATED TO TENDER ? IF YES, GIVE LIST OF ALL DOCUMENTS SEPARATELY. * AFFIDAVIT ON STAMP PAPER ATTESTED BY THE NOTARY PUBLIC CERTIFYING CLEARLY THAT THE INFORMATION GIVEN BY THE AGENCY/ FIRM ARE TRUE AND CORRECT AND ALSO ACCEPT THE ALL TERMS & CONDITIONS GIVEN IN THE TENDER. (DRAFT AS PER DNIT PDF FILE) * UNDERTAKING ON THE LETTER HEAD BY THE AGENCY/ FIRM TO KEEP THE FINANCIAL BID VALID FOR THE STIPULATED DECIDED TIME PERIOD TILL THE COMPLETION OF THE WORK. (DRAFT AS PER DNIT PDF FILE)	
6. DETAILS OF BANK OF TRANSPORTER/ AGENCY/ FIRM. A) NAME OF BANK B) BANK BRANCH WITH FULL ADDRESS C) TYPE OF ACCOUNT D) ACCOUNT No. E) IFSC CODE F) BANK ACCOUNT STATEMENT FOR THE LAST SIX MONTHS	

7. WORK EXPERIENCE (EXPERIENCE OF WORK WITH HARYANA FOREST DEPARTMENT/ HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION OR ANY GOVT. DEPTT. FOR THE WORK FOR WHICH THE TENDER HAS BEEN APPLIED.)	
8. SIGNED COPY OF TERMS & CONDITIONS PAGES.	
9. WHETHER THE APPLICANT TRANSPORTER/ AGENCY/ FIRM HAS TO LEAVE/POSTPONE ANY WORK AFTER TAKING INTO HANDS/IT'S INITIATION WITHIN SIX MONTH OF ALLOTMENT OF TENDER AND WORK. IF YES, GIVE DETAILED REASONS OF LEAVING/POSTPONEMENT OF WORK WITH THE NAME OF THAT PROJECT AND WORK.	
10. WHETHER THE APPLICANT TRANSPORTER/ AGENCY/ FIRM HAS LEFT ANY WORK BEFORE IT'S COMPLETION. IF YES, GIVE FULL DETAILS WITH BASIC REASONS FOR WHICH THE WORK HAD BEEN LEFT.	
11. WHETHER APPLICANT TRANSPORTER/ AGENCY/ FIRM HAS BEEN BLACK LISTED AFTER APPLYING FOR WORK OR AFTER ALLOTMENT OF WORK IN ANY GOVT. ORGANISATION AT ANY POINT OF TIME. IF YES, GIVE FULL DETAILS WITH REASONS.	
12. WHETHER APPLICANT TRANSPORTER/ AGENCY/ FIRM HAS BEEN CONVICTED BY THE HON'BLE COURT AT ANY POINT OF TIME. IF YES, GIVE FULL DETAILS .	
13. IF ANY OTHER INFORMATIONS, WHICH IS IMPORTANTENT/ NECESSARY AS PER YOUR OPINION, GIVE DETAILS.	

SIGNATURE OF THE BIDDER

Haryana Forest Development Corporation Limited

(Haryana Govt. Undertaking)

Office: General Manager, Haryana Forest Development Corporation Ltd. Kurukshetra
Tel./Fax No. 01744-259364 E-mail: gm.kurukshetra@hfdc.gov.in Website: www.hfdc.gov.in

Tender No. 05/2017-18

Financial Bid

NATURE OF WORK: TRANSPORTATION OF WOODEN CRATES/WOODEN FURNITURE INCLUDING LOADING AND UNLOADING ETC.

S.N.	Name & Particular of work	Unit	Rate of Item including all taxes and F.O.R. manufacturing site (in Rs.)	Remarks
1	<u>Transportation Charges of Wooden Crates/Wooden Furniture etc. Including Loading and Unloading from manufacturing site (Body Length of Truck/Canter 19')</u>			
	A) 0 to 50 Kilometer distance	Rate per Vehicle		
	B) 51 to 125 Kilometer distance	Rate per Vehicle		
	C) 126 to 200 Kilometer distance	Rate per Vehicle		
	D) 201 to 275 Kilometer distance	Rate per Vehicle		

Signature of the bidder

हल्फनामा

1. मै, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ इस निविदा मे मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य और सही है।
2. मै, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ मुझे/मेरी फर्म मैसर्ज.....को पिछले पाँच वर्षों के दौरान ना ही तो सरकारी संगठनो ने मेरे कार्य को रद्द किया और ना ही मेरे/मेरी फर्म द्वारा निविदा जमा करवाने तक कोई कार्य बीच मे छोडा गया है।
3. मै/हम प्रमाणित करते है कि निविदा दस्तावेजों मे दिये गये निर्धारित सभी नियमो/ तर्तों को बिना किसी तर्त के स्वीकार करता हूँ/करते है ।

फर्म के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
 शीर्षक.....
 फर्म का नाम.....
 दिनांक.....

वचनपत्र

मै/हमारी फर्म मैसर्ज..... इस निविदा को जमा करवाने से दिनांक 31.03.2018 तक वैध रखने के लिए वचनबद्ध हूँ और इस बोली को दिनांक 31.03.2018 तक स्वीकार करता हूँ।

फर्म के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पद.....

फर्म का नाम.....

दिनांक.....

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध दिनांक.....2017 को हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबन्धक..... व (सफल संविदाकार का नाम) के मध्य कार्यान्वित किया गया है।

हरियाणा वन विकास निगम लि. द्वारा(कार्य का नाम) की पूर्ति के लिए निविदाएं आंमात्रित की गई थी।..... सफल निविदाकर्ता की निविदा को मूल्यांकन व दर के आधार पर निगम द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नप्रकार से है:-

कार्य का नाम.....स्वीकृत दर.....
.....दिनांक..... के वचन पत्र के अनुसार निविदाकर्ता निविदा सम्बन्धी सभी निर्देशों व शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है और समय-समय पर कार्य से सम्बन्धित अन्य शर्तों को भी मानने के लिए तैयार है। निविदाकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक.....दिनांक..... द्वारा सूचित किया गया है कि निगम के पत्र क्रमांक.....दिनांक..... के कार्य के प्रस्ताव को निविदा की निर्देशों व शर्तों के अनुसार पूर्ण करने के लिये तैयार है।

इस अनुबन्ध के अन्य विवरण इस प्रकार से है:-

1. इस अनुबन्ध में कार्य से सम्बन्धित आशयों का मतलब वही होगा जो निर्देशों व शर्तों में दर्शाया गया है।
2. निगम के निर्देशों व शर्तों के अनुसार किये गये कार्यों की अदायगी के लिए निविदाकर्ता निगम से मांग करेगा।
3. निगम किये गए कार्य को संतोषजनक पूर्ण पाकर बिलो की अदायगी करेगा।
4. यदि संविदाकार कार्य पूर्ण नहीं करेगा तो वह किसी भी प्रकार की राशि लेने का कानूनी हकदार नहीं होगा ।

निगम के अधिकृत हस्ताक्षरी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

गवाह

गवाह

1.

1.

2.

2.

भाग- I : निविदा सम्बन्धी सामान्य नियम एवं शर्तें

- निविदा दस्तावेज निगम की वेबसाईट: www.hfdc.gov.in & <https://haryanaeprocurement.gov.in> से डाउनलोड किये जा सकते हैं ।
- पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा फार्म/दस्तावेज निर्धारित तिथि एवं समय से पहले आनलाईन <https://haryanaeprocurement.gov.in> पर अपलोड करने होंगे।
- निविदा सम्बन्धी सभी प्रकार के शुद्धि पत्र या सूचना केवल हरियाणा वन विकास निगम की वेबसाईट पर ही प्रकाशित किये जायेंगे।
- निविदा खुलने के तिथि के दिन सरकारी अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जायेगी।
- इस निविदा सम्बन्धी लिखित सभी शर्तें आवेदक को हरियाणा वन विकास निगम की माननी होगी। आवेदक की शर्तों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- यह निविदा वर्ष 2017-18 के लिए रेट अनुबन्ध करने के लिए सबसे कम रेट वाली फर्म/संस्था वाली फर्मों के साथ रेट अनुबन्ध किया जाएगा।
- सभी निविदाकारों को निविदा दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। यह माना जाता है कि निविदाकारों द्वारा आवेदन करने से पूर्व निविदा से सम्बन्धित सभी विवरण ध्यानपूर्वक पढ़ लिए गये हैं।
- निविदाकर्ता निविदा तैयार करने व अपलोड करने से सम्बन्धित सभी लागत स्वयं वहन करेगा। हरियाणा वन विकास निगम निविदा सम्बन्धी किसी भी प्रकार की लागत के लिए किसी भी प्रकार के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- निविदाकर्ता आवेदन करते समय निविदा दस्तावेज शुल्क, ब्याना राशि, तकनीकी निविदा (पूर्ण दस्तावेज) और वित्तीय निविदा/बोली सम्बन्धी सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में भरेगा।
- निर्धारित निविदा फार्म के अलावा अन्य फार्म पर भरी गई निविदा रद्द कर दी जायेगी।
- असफल आवेदक की ब्याना राशि वापिस लौटा दी जायेगी।
- पूर्ण निविदा दस्तावेज आवश्यक स्थानों पर भरा हुआ और सभी पृष्ठों पर संख्या सहित व हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए।
- संविदाकार को तकनीकी बोली के साथ परिवहन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज साथ लगाने होंगे
 1. फर्म के पंजीकरण की प्रति।
 2. पैन कार्ड की प्रति।
 3. कार्य का अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
 4. स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जो कि पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित हो जिस पर यह लिखा हो कि जो सूचना निविदाकार/बोलीदाता द्वारा दी गई है, वह सही है तथा वह निविदा में अंकित नियम व शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है। (प्रारूप संलग्न)
 5. फर्म/एजेंसी के लेटर हैड पर बोली को निर्धारित समय तक वैध रखने बारे वचन पत्र। (प्रारूप संलग्न)
 6. संविदाकार द्वारा जमा करवाई गई राशि की रसीद की प्रति।
- उपरोक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी होने पर निविदाकार की बोली अस्वीकार कर दी जायेगी। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रमाण पत्रों व पुष्टिकारक दस्तावेजों की प्रतियां दी गई समय अवधि से पूर्व आनलाईन अपलोड करेंगे।
- उन निविदाकारों जिनकी तकनीकी निविदा/बोली योग्य/उपयुक्त पाई जाती है तो वित्तीय निविदाएं/बोली उन्ही की ही खोली जायेगी। अधूरी निविदाएं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- वित्तीय निविदाएं की गणितीय त्रुटियों के लिए निविदा समिति के सदस्यों द्वारा जांच की जायेगी। गणितीय त्रुटियों को निविदा समिति के सदस्यों द्वारा निम्नप्रकार से ठीक किया जायेगा। आंकड़ों व शब्दों की दरों में अन्तर पाये जाने पर, शब्दों में लिखी दर को माना जायेगा।
- निविदा दस्तावेजों पर हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। बिना हस्ताक्षर के अपलोड की गई निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- निविदाएं निविदाकारों/बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना में दर्शाई गई तिथि व समय पर खोली जायेगी, यदि वह उस समय उपस्थित होंगे।

- निविदा के मूल्यांकन, स्पष्टीकरण, तुलना व सिफारिश सम्बन्धी जानकारी निविदाकारों को सफल निविदाकार की घोषणा तक अधिकारिक तौर पर प्रकट नहीं की जायेगी। निविदा के सम्बन्ध में निविदा समिति के फैसले को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने वाले निविदाकार की निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
- कार्य की मात्रा व गुणवत्ता निगम के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा पूर्ण व संतोषजनक सत्यापित होने पर जमा किए गए बिलों की अदायगी की जा सकेगी।
- निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर उसकी ब्याना राशि जब्त कर ली जायेगी।
- निर्धारित कार्य पूर्ण करने व अन्तिम बिल की अदायगी होने के एक महीने के अन्दर जमानत व अमानत राशि भी वापिस कर दी जायेगी ।
- बोलीदाता की बोली/निविदा की वैधता जमा करवाने की आखिरी तिथि से छःमास की अवधि की होगी। छः महीने की अवधि से कम वैधता वाली बोली को निगम द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा। निविदाकर्ता को इस बारे अपने कम्पनी/फर्म के लेटर हैड पर वचन पत्र (अंडर टेकिंग) देना होगा।
- असाधारण परिस्थितियों में मूल समय सीमा की समाप्ति से पूर्व, निगम निविदाकर्ताओं को निविदा/बोली वैधता की अवधि को बढ़ाने के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसा अनुरोध और निविदाकर्ताओं के जवाब लिखित में या मेल द्वारा सूचित किया जायेगा। निविदाकर्ता बिना ब्याना राशि जब्त करवाये ऐसे अनुरोध को मना कर सकता है। ऐसा अनुरोध को स्वीकार करने वाले निविदाकर्ताओं को अपनी बोली/निविदा (तकनीकी/वित्तीय) को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु वांछित समय तक बोली वैधता बढ़ानी होगी।
- सफल बोलीदाता को हरियाणा वन विकास निगम के सम्बन्धित महाप्रबन्धक के साथ समय पर कार्य का निष्पादन करने के लिए समझौता का अनुबन्ध निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) पर करना होगा।
- ऐसे निविदाकर्ताओं जिसकी बोली/निविदाएं योग्य नहीं पाई जाती उनकी ब्याना राशि वापिस लौटा दी जायेगी।
- राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में दी गई शर्तें अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होगी।
- सक्षम अधिकारी किसी भी या सभी निविदा/बोलियों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिस पर निविदाकार का कोई कानूनी हक नहीं होगा ।
- इस निविदा सम्बन्धी कोई भी विवाद होने पर मामला सम्बन्धित मुख्य महाप्रबन्धक के पास रखा जायेगा। फिर भी विवाद न सुलझने की स्थिति में मामला प्रधान मुख्य वन संरक्षक- कम-प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला के पास भेजा जायेगा, जिनका फैसला सभी को मान्य होगा।
- सभी प्रकार की अदायगी जी.एस.टी. की सभी शर्तें पूर्ण करने उपरांत की जाएंगी । परिवहन का कार्य सॉ मिल/वर्कशाप, पिपली से किया जाएगा ।
- वुडन क्रेटस/फर्नीचर की पहुंच बताये गये स्थान पर करनी होगी ।
- इस निविदा सम्बन्धी विवाद होने पर मामला **कुरुक्षेत्र** न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आयेगा।

भाग-II : अनुबन्ध सम्बन्धी विशेष नियम एवं शर्तें

1. सविदाकार द्वारा परिवहन का कार्य दी गई समयावधि के दौरान करवाना होगा जो कि निगम के प्रबन्धक/कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में बताई जायेगी ।
2. सविदाकार को ढुलाई किये जाने वाले क्रेटस/फर्नीचर का खाना चालान प्रत्येक गाड़ी के साथ ले जाना होगा । यह खाना चालान निगम के कर्मचारी द्वारा जारी किया जायेगा । खाना चालान मे अंकित क्रेटस/फर्नीचर को सम्बन्धित स्थान पर पहुँचाकर उसकी प्राप्ति रसीद निगम के कर्मचारी को वापिस देगा ।
3. सविदाकार द्वारा ढुलाई किये जाने वाले क्रेटस/फर्नीचर के कार्य के बिल पर निगम के सम्बन्धित कर्मचारी व प्रबन्धक से आवश्यक प्रमाण-पत्र लेना होगा ।
4. इस कार्य से सम्बन्धित अन्य शर्तें वर्क आर्डर जारी करते समय या कार्य करने के दौरान भी विशेष रूप से मौखिक व लिखित रूप मे सविदाकार को सूचित की जा सकती है। जिनकी वह मौके पर कार्य करते समय पालना करेगा ।
5. प्रत्येक सविदाकार को Technical Bid निर्धारित प्रपत्र पर भरकर देनी होगी । यदि किसी सविदाकार की Technical Bid अधूरी पाई गई तो, उसकी Financial Bid पर विचार नहीं किया जायेगा ।
6. सविदाकार द्वारा यह कार्य निगम के फील्ड कर्मचारी द्वारा बताये गये दिशा-निर्देशो के अनुसार करवाना होगा । यह सभी कार्य निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों की देख-रेख में करवाये जाएंगे । क्रेटस/फर्नीचर की अच्छी तरह से पैकिंग व वर्षा एवं धूप से बचाव हेतु तिरपाल ईत्याद का खर्च सविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
7. यदि परिवहन के दौरान क्रेटस/फर्नीचर की किसी भी प्रकार से अनावश्यक बर्बादी होती/की जाती है तो इसकी हानि की वसूली कार्य करवाने वाले सविदाकार से की जायेगी ।
8. क्रेटस/फर्नीचर की परिवहन तभी पूर्ण रूप से सही माना जायेगा जब करवाये गये कार्य पर सम्बन्धित निगम के ईन्चार्ज/प्रबन्धक अपना प्रमाण-पत्र देगे कि करवाया गया कार्य सही हैं ।
9. सविदाकार द्वारा क्रेटस/फर्नीचर के परिवहन बिलों पर निगम के सम्बन्धित कर्मचारी व प्रबन्धक से प्रमाण-पत्र लेना होगा तभी सम्बन्धित बिल की अदायगी सविदाकार को आर. टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./चैक के माध्यम से की जायेगी । नकद में कोई भी अदायगी नहीं की जायेगी ।
10. सविदाकार द्वारा क्रेटस/फर्नीचर के परिवहन करने के उपरांत भी किसी प्रकार की कमी ईत्यादि पाई गई तो इसकी भरपाई सविदाकार से की जायेगी ।
11. सविदाकार द्वारा क्रेटस/फर्नीचर के परिवहन के कार्य का निरीक्षण निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सम्बन्धित विभाग व एजेंसी के प्रतिनिधि किसी भी समय कर सकते हैं ।
12. क्रेटस/फर्नीचर के परिवहन के दौरान किसी प्रकार की दूर्घटना इत्यादि की जिम्मेवारी सविदाकार की होगी । परिवहन के दौरान किसी कारणवश यदि गाड़ी सरकारी अथोरिटी द्वारा जब्त की जाती है तो उसकी जिम्मेवारी भी कार्य करवाने वाले सविदाकार की होगी ।

महाप्रबन्धक,
हरियाणा वन विकास निगम,
कुरुक्षेत्र ।